न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमू, जयपुर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– नीलिमा पंवार आर.जे.एस.

मूल दाण्डिक प्रकरण संख्या :– 184/2018

एनसीवी नंबर :– 259/2018

सी.एन.आर. नंबर :– RJJD170002672018

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 137/2018

अपराध अंतर्गत धारा :– धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता

भाग – प्रथम

A

परिवादी	बलूराम पुत्र श्री भैरूराम निवासी रावपुरा पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर।
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी।
अभियुक्त का नाम व पता	1. हनीफ पुत्र श्री मुंशी निवासी चांदावास थाना चंदवाजी जिला जयपुर।
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त	श्री रोशनलाल वर्मा जी।

B

अपराध की दिनांक	12.05.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज दिनांक	15.05.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तारीख	05.07.2018
आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये जाने की दिनांक	05.07.2018
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	10.01.2019
बहस अंतिम दिनांक	06.06.2026
निर्णय दिनांक	10.06.2026

C

<u>अभियुक्त का विवरण</u>

अभियुक्त का नाम	अपराध	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	सजा
1. हनीफ	धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता	दोषमुक्त	–

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	पीड. 01 बलूराम	परिवादी/शिकायतकर्ता
2	पीड. 02 बाबूलाल	चश्मदीद गवाह
3	पीड. 03 झाबरमल	चश्मदीद गवाह
4	पीड. 04 गंगाराम	चश्मदीद गवाह
5	पीड. 05 शंकरलाल	चश्मदीद गवाह
6	पीड. 06 कैलाश चंद	पुलिस गवाह
7	पीड. 07 बनवारीलाल	चश्मदीद गवाह
8	पीड. 08 डॉ. सुरेश कुमार	चिकित्सक गवाह
9	पीड. 09 शेरसिंह	पुलिस गवाह
10	पीड. 10 जितेन्द्र कुमार	चश्मदीद गवाह
11	पीड. 11 मंजू कुमारी	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
...	-------	-----------

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
...	-------	-----------

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत/घटना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर

3	प्रदर्श पी—3	मृतक सुवालाल की लाश का मृतक पंचनामा
4	प्रदर्श पी—4	रसीद सुपुर्दगी लाश मृतक सुवालाल
5	प्रदर्श पी—5	नक्शा मौका घटनास्थल
6	प्रदर्श पी—6	फर्द सुरतेहाल एवं सुपुर्दगी कमाण्डर जीप नंबर आरजे 07—सी—3742
7	प्रदर्श पी—7	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी गवाह गंगाराम
8	प्रदर्श पी—8	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस
9	प्रदर्श पी—9	फर्द जब्ती वाहन पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724
10	प्रदर्श पी—10	फर्द जब्ती असल कागजात वाहन पिकअप
11	प्रदर्श पी—11	फर्द पंचायतनामा मृतक सांवरमल
12	प्रदर्श पी—12	रसीद लाश मृतक सांवरमल
13	प्रदर्श पी—13	मृतक सांवरमल की पीएमआर रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी—14	मृतक सुवालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
15	प्रदर्श पी—15	पोस्टमार्टम बाबत् दी गई तहरीर
16	प्रदर्श पी—16	रोजनामचा रपट रवानगी, पुलिस थाना सामोद
17	प्रदर्श पी—17	रोजनामचा रपट वापसी, पुलिस थाना सामोद
18	प्रदर्श पी—18	मुलजिम हनीफ को धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस

ब—बचाव प्रदर्श

क. सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
....	....	....

स—न्यायालय प्रदर्श

क. सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
....	....	....

द—भौतिक वस्तुएं

क. सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
....	....	....

–: **निर्णय** :– **दिनांक : 10 जून, 2026**

1. इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी, पुलिस थाना सामोद की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी, अभियुक्त के विरूद्ध इस न्यायालय में आरोप पत्र पेश करने पर हुआ। जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

संक्षिप्त तथ्यः–

2. निर्णय हेतु प्रकरण के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.05.2018 को परिवादी बलूराम ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 12.05.2018 को समय सुबह करीब 12.00 बजे मिर्ची बेचने सब्जी मंडी चौमूं में आया था जो मिर्ची बेचकर जीप में अपने मिलने वालों के साथ बैठकर समय करीब 7.30–8.00 के मध्य उदयपुरिया मोड से थोडा आगे सिंगलों की ढाणी के पास पहुंचा तो सामने से आ रही पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 का चालक पिकअप को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला कर लाया व रोंग साईड में आकर जीप के टक्कर मार दी। जिससे उसके भाई सुवालाल व एक अन्य व्यक्ति सांवरमल की भी मृत्यु हो गई। यह सडक दुर्घटना पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 के चालक द्वारा पिकअप को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मारने के कारण घटित हुई है..... आदि।

3. पुलिस थाना सामोद द्वारा अभियोग संख्या 137/2018 कायम कर बाद तफ्तीश अभियुक्त हनीफ के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त मुलजिम के विरुद्ध उक्त धाराओं 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर दाण्डिक किया गया।

आरोपः–

4. पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त हनीफ के विरूद्ध उक्त आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजनः–

5. अभियुक्त पर आरोपित अपराध को साबित करने के हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पृष्ठ संख्या 2 के भाग द्वितीय के अनुसार

पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 11 गवाहान को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजीय साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 2 व 3 के भाग द्वितीय में वर्णित प्रदर्श पी—1 लगायत प्रदर्श पी—18 दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

बहस अंतिमः—

6. बहस अंतिम उभयपक्षकारान सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त गवाहान ने मुलजिम पर लगे आरोप कि अभियुक्त द्वारा वक्त घटना पिकअप को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये दुर्घटना कारित की। जिसके फलस्वरूप मजरूबान सुवालाल व सांवरमल की मृत्यु हुई है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उचित दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरित विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियोजन के तर्कों का खण्डन करते हुये यह तर्क दिया कि उक्त दुर्घटना अभियुक्त व दुर्घटना कारित वाहन जो एफआईआर में बताया गया है से कारित नहीं हुई है। अभियुक्त को प्रकरण में गलत रूप से फंसाया गया है। जिसका अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहान द्वारा मौके पर मुलजिम हनीफ की बतौर वाहन चालक उपस्थिति, पहचान व घटना के वक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से अभियुक्त हनीफ द्वारा चलाकर आरोप अंतर्गत धारा 279, 304 भारतीय दण्ड संहिता को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विचारणीय बिन्दुः—

7. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नवत उत्पन्न होते हैः—

1. **क्या अभियुक्त ने दिनांक 12.05.2018 को समय करीब 7.30—8.00 पीएम पर उदयपुरिया मोड से थोडा आगे सिंगलो की ढाणी के पास पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 को तेजगति, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण से चलाकर रोंग साईड में आकर जीप के टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न करके दुर्घटना कारित की जिससे परिवादी के भाई सुवालाल व एक अन्य व्यक्ति सांवरमल की परिणामस्वरूप मृत्यु हुई ?**
2. **यदि हां तो अभियुक्त के लिए उचित दण्डादेश क्या होगा ?**

विवेचनाः—

8. उपरोक्त विचारणीय बिंदु को संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपित अपराध को साबित करने के लिए कुल 11 मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी 01 लगायत प्रदर्शपी 18 को पेश कर प्रदर्शित करवाये गये है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निस्तारण हेतु पत्रावली पर आई साक्ष्य की विवेचना व विश्लेषण निम्न प्रकार से है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 1 :—

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो **अभियोजन साक्षी के गवाह पी0ड0 1 बलुराम ने मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये है कि** दिनांक 12.05.18 को सुबह 12 बजे मिर्ची बेचकर वापस जीप में बैठकर घर जा रहा था तो करीबन 7.30 बजे उदयपुरिया मोड पर सिंगला ढाणी के पास पिकअप नंबर आरजे 14 जीए 1724 के चालक ने पिकअप को तेजगति व लापरवाही से चलाकर गलतदिशा से टक्कर मार दी जिससे उसके साथ आये भाई सुवालाल व अन्य व्यक्ति सांवरमल की मृत्यु हो गयी थी। यह एक्सीडेंट जीप चालक की गलती से नहीं हुआ बल्कि पिकअप की लापरवाही के कारण हुआ था जो रिपोर्ट प्रदर्शपी 01 है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्शपी 02 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक सुवालाल की लाश का मृतक पंचनामा प्रदर्शपी 03 उसके सामने बनाया व जरिये रसीद प्रदर्शपी 04 लाश उसे सुपुर्द करी थी। नक्शा मौका प्रदर्शपी 05 उसके सामने बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है कि यह सही है कि** उसका भाई उसके साथ जीप गाडी में था। यह सही है कि मुलजिम का नाम पुलिस में नहीं बताया व ना ही मुलजिम को जानता है। चालक पिकअप को लेकर भाग गया था। प्रदर्शपी 1 लगायत 5 कागजात उसके सामने ही बनाये थे। उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं है।

10. गवाह पी.ड.—2 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 12.05.18 को करीब साढे सात आठ बजे उसके ताऊ का लडका सावंरमल जीप से चौमूं से मुण्डरू जा रहा था तो सिंगलो की ढाणी के पास एक पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाते हुये जीप के

टक्कर मार दी जिससे जीप में बैठे सावंरमल और सुवालाल की मृत्यु हो गयी। यह घटना पिकअप चालक की लापरवाही गलती से हुयी थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 05 बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है कि** यह बात सही है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था। घटना की जानकारी उसे फोन पर मिली थी। वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब तक घायलों को अस्पताल ले गये थे। मौके पर न तो उसने पिकअप को देखा, न ही पिकअप चालक को देखा था। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श डी—1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी—5 पर क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उसके थाने में हस्ताक्षर करवाए थे।

<u>11. गवाह पी.ड. 3 झाबरमल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि</u> दिनांक 12.05.2018 को वह अपनी कमाण्डर जीप नंबर 3742 से चौमूं से खेजरोली परचूनी का सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे सुवालाल, सांवरमल मिल गए। जो उसकी जीप में बैठ गये थे। शाम करीब सात साढे सात बजे वह उदयपुरिया मोड से थोडा आगे पहुंचे तो सामने से एक पिकअप नंबर 1724 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसकी जीप के टक्कर मार दी। जिससे सांवरमल और सुवालाल की मौके पर मृत्यु हो गयी। दुर्घटना पिकअप चालक की गलती से हुयी थी। फर्द सूरते हाल एवं सुपुर्दगी कमाण्डर जीप प्रदर्शपी 6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है** दुर्घटनाग्रस्त जीप को वही चला रहा था। उसकी जीप की स्पीड 20—25 किमी पर हावर थी। पिकअप के नंबर 1724 थे पुरे नंबर उसे याद नहीं है। पिकअप चालक का उसे पता नहीं है, कि वह कौन था। पिकअप टक्कर देकर भाग गई थी। उसके बयान नहीं हुए, केवल साईन ही कराए थे। पुलिस बयान प्रदर्शडी 2 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया।

<u>12. गवाह पी.ड.— 4 गंगाराम ने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि</u> उसे दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दुर्घटना कब, कौनसी गाडी से किसकी गलती से हुई, उसे ध्यान नहीं है। **गवाह प्रकरण में पक्षद्रोही रहा है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में कथन करता है कि** उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्शपी 7 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं

लिखाया। यह कहना गलत है कि उसे यह जानकारी हो कि दिनांक 12.05.2018 को पीकअप नंबर 1724 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर झाबरमल की जीप के उदयपुरिया के पास टक्कर मारी हो। जिससे सांवरमल व सुवालाल की मृत्यु हो गई हो।

<u>**13. गवाह पी.ड.– 5 शंकरलाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि**</u> वाहन पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 का वह पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 12.05.2018 को उक्त वाहन से दुर्घटना होने पर पुलिस ने दुघर्टना के समय रहे वाहन चालक का नाम पता बताने बाबत उसे 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया था जिसका उसने जवाब पेश किया था। नोटिस प्रदर्शपी 8 है जिस पर उसका जवाब व हस्ताक्षर है। जवाब में उसने वरवक्त दुर्घटना वाहन चालक हनीफ शाह होना बताया था। पुलिस ने पिकअप तथा पिकअप के असल कागजात प्रदर्शपी 9 व 10 उसके सामने जब्त किया था। **जिरह में कथन करता है** कि प्रदर्शपी 8,9 व 10 पर क्या लिखा हुआ है पता नहीं। उसके तो केवल खाली कागज पर साईन करवाए थे। प्रदर्शपी 08 में ए से बी भाग उसका कलमी नहीं है। जो पुलिस वालों ने ही लिखी थी। उसने नहीं बतायी।

<u>**14. गवाह पी.ड.– 6 कैलाश चंद ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि**</u> करीब तीन साल पहले पुलिस ने उसके सामने दुर्घटना के मुकदमे में पिकअप एवं पिकअप के असल कागजात जरिये फर्द प्रदर्शपी 9 व 10 जप्त किये थे जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है कि** प्रदर्शपी 9 व 10 में क्या लिखा है उसे पता नहीं। उसने तो पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

<u>**15. गवाह पी.ड.– 7 बनवारीलाल ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि**</u> दिनांक 12.05.2018 को उसे उसके रिश्तेदार ने सूचना दी की सांवरमल का एक्सीडेंट हो गया है। सांवरमल उस दिन जयपुर गया था। जयपुर से गांव वापस आते समय करीब साढे सात आठ बजे शाम को उदयपुरिया मोड से थोडा आगे सांवरमल जिस जीप में जा रहा था उसे सामाने से आ रही पिकअप नंबर 1724 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर रोंग साइड में आकर जीप के टक्कर मार दी थी। जिससे उसके भाई सांवरमल व सुवालाल की मृत्यु हो गयी थी। एक्सीडेंट पिकअप चालक की गलती व लापरवाही से हुआ था।

फर्द पंचायत नामा मृतक सांवरमल प्रदर्शपी 11 पर उसके हस्ताक्षर है। रसीद लाश सांवरमल प्रदर्शपी 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है** उसने दुर्घटना होते नहीं देखी। उसे पता नहीं कि दुर्घटना किस वाहन की गलती व लापरवाही से हुई। प्रदर्शपी 11 व 12 में वह नहीं समझता पुलिस ने उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं। वह नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 में नहीं समझता है। उसने तो पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। उसके पुलिस में बयान हुए थे व पुलिस बयान में उसने गाडी के नंबर नहीं बताये।

16. गवाह पी.ड.–8 डॉ. सुरेश कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 13.05.2018 को सीएचसी चौमूं में कार्यरत था। उस रोज पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा मृतक सांवरमल के मृत शरीर का मुआयना कर पीएमआर प्रदर्शपी 13 तैयार करी गयी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उसकी राय अंकित है। उसकी राय में मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट की वजह से शोक था। उसी रोज उसके द्वारा मृतक सुवालाल के मृत शरीर का मुआयना कर पीएमआर प्रदर्शपी 14 तैयार करी गयी जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसकी राय अंकित है। उसकी राय में मृत्यु का कारण सिर में, गले पर लगी चोट की वजह से शोक था। पोस्टमार्टम बाबत दी गयी तहरीर प्रदर्शपी 15 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है कि** प्रदर्शपी 13 व 14 में अंकित चोटे अत्याधिक उंचाई से किसी ठोस धरातल पर गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शपी 13 व 14 का ई से एफ भाग की ईबारत पुलिस के बताए अनुसार लिखा है।

17. गवाह पी.ड.– 9 शेरसिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 31.05.2018 को थानाधिकारी थाना सामोद के पद पर कार्यरत था। उस रोज मंजू कुमार एसआई ने मुकदमा नंबर 137/18 धारा 279,304ए आईपीसी की पत्रावली बाद अनुसंधान जुर्म प्रमाणित मानते हुए मन एसएचओ के समक्ष पेश की थी जिसमें उसने मुल्जिम हनीफ शाह के विरूद्ध जुर्म धारा 279,304ए आईपीसी में प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। **जिरह में कथन करता है कि यह बात सही है कि** उसने इस प्रकरण की तफ्तीश मौके पर जाकर नहीं की। उसने केवल आईओ के अनुसंधान को सही मानते हुए

आरोप पत्र पेश किया है। यह कहना भी सही है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया, ना ही उसने कोई अनुसंधान किया।

<u>**18. गवाह पी.ड.–10 जितेन्द्र कुमार ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि**</u> सन् 2018 में एक जीप कमाण्डर ओर एक पिकअप का एक्सीडेंट हो गया था। इसके मामले में पुलिस ने कमाण्डर जीप नंबर आर 07 सी 3742 का फर्द सुरतेहाल प्रदर्शपी 6 उसके सामने तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह में कथन करता है कि** प्रदर्शपी 6 फर्द सुरतेहाल पर क्या लिखा है उसे पता नहीं। प्रदर्शपी 6 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

<u>**19. गवाह पी.ड.–11 मंजू कुमारी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि**</u> वह दिनांक 12.05.2018 को पुलिस थाना सामोद पर एसआई के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन समय करीब 8.30 पीएम पर जरिये टेलीफोन उसे सूचना मिली की उदयपुरिया मोड से एक किलोमीटर आगे खेजरोली रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। वह व कांस्टेबल रमेश कुमार मौके पर पहुंचे जहां घटनास्थल पर उन्होंने देखा कि एक जीप व पीकअप के बीच एक्सीडेंट होने से दो व्यक्ति सांवरमल व सुवालाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी जिनका मृत शरीर रात्रि का समय होने के कारण सीएससी चौमूं मोरचरी में रखवाया गया तथा दिनांक 13.05.2018 को सुबह मृतक सुवालाल की लाश की पंचायतनामा प्रदर्शपी 03 गवाहानों की उपस्थिति में तेयार किया। जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा मृतक सांवरमल की लाश का पंचायतनामा गवाहान की उपस्थिति में प्रदर्शपी 11 तैयार किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मृतक सुवालाल का पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट प्रदर्शपी 14 प्राप्त की तथा मृतक सांवरमल की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट प्रदर्शपी 13 प्राप्त की। मृतक सुवालाल की लाश बालूराम यादव को सुपुर्द की सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा मृतक सांवरमल की लाश बनवारी लाल को सुपुर्द की रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त कार्यवाही के पश्चात वह थाने पर वापस आयी। रोजनामचा रपट रवानगी प्रदर्शपी 16 तथा रोजनामचा रपट वापसीप्रदर्शपी 17 है। दिनांक 15.05.2018 को परिवादी बालूराम यादव ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना सामोद में दर्ज करवायी जो एफआईआर नंबर 137/18 अंतर्गत धारा 279,304ए भादसं. में दर्ज की गयी जिसकी तफतीश उसे प्राप्त हुयी।

दौराने तफतीश तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 01 तथा फर्द पंचायतनामा मृतक सुवालाल प्रदर्शपी 3 फर्द पंचायतनामा मृतक सांवरमल प्रदर्शपी 11 रसीद लाश मृतक सुवालाल प्रदर्शपी 4 रसीद लाश मृतक सांवरमल प्रदर्शपी 12 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक सांवरमल प्रदर्शपी 13 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक सुवालाल प्रदर्शपी 14 शामिल पत्रावली किया। परिवादी की निशादेही पर गवाहानों की उपस्थिति में घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 बनाया जिस पर उसके जी से एच व ए से बी बालूराम के हस्ताक्षर है। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। दुर्घटनाग्रस्त वाहन कमाण्डर जीप का सूरतेहाल तैयार किया व वाहन स्वामी गंगाराम सैनी को अस्थाई रूप से गवाहनों की उपस्थिति में सुपुर्द किया। फर्द सूरतेहाल व सुपुर्दगी प्रदर्शपी 6 है जिस पर उसके व गंगाराम सैनी के हस्ताक्षर है। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पिकअप नंबर आरजे 41 जे 1724 को जरिये फर्द गवाहों की उपस्थिति में जप्त किया फर्द जप्ती प्रदर्शपी 9 बनायी जिस पर उसके तथा हनीफ शाह के हस्ताक्षर है। उक्त वाहन के मूल दस्तावेज व चालक हनीफ शाह का मूल डीएल जप्त किया व फर्द जप्ती प्रदर्शपी 10 बनायी जिस पर उसके तथा मुलजिम हनीफ शाह के हस्ताक्षर है। उक्त वाहन स्वामी शंकर लाल को धारा 133 एवमी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 8 दिया जिसमें वाहन स्वामी का जवाब है जिसमें उसने स्वीकार किया कि वरवक्त दुर्घटना वाहन का चालक हनीफ शाह था तथा उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम हनीफ शाह को धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस दिया जो प्रदर्शपी 18 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व मुलजिम का जवाब व उसके हस्ताक्षर है जिसमें उसने स्वीकार किया कि वरवक्त दुर्घटना वाहन का चालक वह स्वयं ही था। बाद अनुसंधान हनीफ शाह के विरूद्ध अपराध 279, 304ए आईपीसी का प्रमाणित पाया जाकर पत्रावली एसएचओ साहब को सुपुर्द की गयी जिनके द्वारा मुलजिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोप पत्र पर उसके व शेरसिंह के हस्ताक्षर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। जिरह में कथन करती है कि उसे उक्त प्रकरण का अनुसंधान 15.05.2018 को प्राप्त हुआ था। वह मौके पर दिनांक 12.05.2018 को दुर्घटना कारित होने के बाद व दिनांक 15.05.2018 को अनुसंधान प्राप्त होने के बाद घटनास्थल पर गयी थी। वह दिनांक 12.05.2018 को मौके पर गयी तब

दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर नहीं था। दुर्घटना मौके पर कोई कांच इत्यादि हो तो उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 3,4,11,12,13,14 व 15 में दुर्घटना करने वाले वाहन के नंबर अंकित नहीं है। दुर्घटनास्थल हाइवे नहीं था चौमूं खेजरोली का लिंक रोड है जहां साधनों की आवाजाही रहती है। दुर्घटनास्थल पर दिनांक 12.05.2018 को कोई रोड लाईट थी या नहीं आज उसे ध्यान नहीं है। गवाहों के बयान व अनुसंधान के आधार पर धारा 279,304ए भादस. प्रमाणित माना। गवाहों के बयान चौकी जाटावाली पर लिये थे। उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के फोटोग्राफी नहीं करायी। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के इंजन व चेसिस नंबर याद नहीं है। धारा 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस एक ही तारीख को दिया था। वाहन के नंबर जानने के लिए उसने आरटीओ को नोटिस नहीं दिया। उसने अनुसंधान 14 दिन में पूर्ण किया था। दुर्घटना करने वाले वाहन की जानकारी उसे गवाहों व एफआईआर में अंकित तथ्यों के माध्यम से प्राप्त हुई। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 16 व 17 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर अंकित नहीं है।

20. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये। प्रकरण का परिवादी बलुराम पी.डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 12.05.2018 को उसका भाई सुवालाल करीब 7.30 बजे उदयपुरिया मोड पर सिंगला ढाणी के पास से घर की तरफ जीप से जा रहा था। रास्ते में आपने पिकअप गाडी नंबर आर.जे. 41—जीए—1724 को तेजगति व लापरवाही से चलाकर गलत दिशा में जीप के टक्कर मार दी। उसका भाई सुवालाल व एक अन्य व्यक्ति सांवरमल जीप से आ रहे थे। उनके टक्कर मार दी, जिससे सुवालाल व सांवरमल की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श—पी 1, चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श—पी 2, मृतक सुवालाल की लाश का मृतक पंचनामा प्रदर्श—पी 3, रसीद सुपुर्दगी लाश प्रदर्श—पी 4 व नक्शा मौका प्रदर्श—पी 5 प्रदर्शित करवाये। जिरह में गवाह ने कथन किया कि मुलजिम का नाम पुलिस ने नहीं बताया व ना ही मुलजिम को जानता है। चालक पिकअप को लेकर भाग गया था। प्रदर्शपी 1 लगायत 5 कागजात उसके सामने ही बनाये

थे। उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं है। इस प्रकार प्रकरण के परिवादी की मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि वह वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं था तथा उक्त गवाह के द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके द्वारा लिखवाये गये वक्त दुर्घटना वाहन चालक का नाम व वाहन गाडी के इंजन नंबर व चेसिस नंबर के बारे में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए प्रदर्शपी 1 लगायत प्रदर्शपी 5 पर क्या लिखा है उसे पता नहीं होने संबंधी कथन कर अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में विरोधाभासी कथन किये गये है तथा अभियोजन कहानी को किसी भी प्रकार से सहयोग प्रदान नहीं किया है।

21. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के चक्षुदर्शी गवाहान में बाबूलाल पी. डब्ल्यू. 2, झाबरमल पी.डब्ल्यू. 3, कैलाश चंद पी.डब्लयू. 6, बनवारीलाल पी. डब्ल्यू0 7, जितेन्द्र कुमार पी.डब्ल्यू. 10 परीक्षित हुए है। गवाह पी.डब्ल्यू. 2 बाबूलाल ने मुख्य परीक्षण में ही यह कथन किया कि दिनांक 12.05.2018 को करीब साढे सात आठ बजे उसके ताऊ का लडका सावंरमल जीप से चौमूं से मुण्डरू जा रहा था तब सिंगलो की ढाणी के पास एक पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 के चालक ने पिकअप तेज गति व लापरवाही से चलाते हुये जीप के टक्कर मार दी जिससे जीप में बैठे सावंरमल और सुवालाल की मृत्यु हो गयी। नक्शा मौका प्रदर्शपी 05 प्रदर्शित करवाया गया। वहीं गवाह जिरह में कथन करता है कि यह बात सही है कि एक्सीडेंट उसके सामने नहीं हुआ था। मौके पर न तो उसने पिकअप को देखा, न ही पिकअप चालक को देखा था। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। नक्शा मौका प्रदर्श पी–5 पर क्या लिखा है वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उसके थाने में हस्ताक्षर करवाए थे। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा साक्ष्य में ना तो वक्त दुर्घटना वाहन चालक कौन था व ना ही वाहन के संबंध में कोई कथन किया है तथा वक्त घटना मौके पर उपस्थित नहीं होना स्वयं गवाह ने साक्ष्य में स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 3 झाबरमल जो कि प्रकरण में चक्षुदर्शी गवाह होकर मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 12.05.2018 को वह अपनी कमाण्डर जीप नंबर 3742 से चौमूं से खेजरोली परचूनी का सामान लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे सुवालाल,

सांवरमल मिल गए। जो उसकी जीप में बैठ गये थे। शाम करीब सात साढे सात बजे वह उदयपुरिया मोड से थोडा आगे पहुंचे तो सामने से एक पिकअप नंबर 1724 को उसका चालक तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसकी जीप के टक्कर मार दी। जिससे सांवरमल और सुवालाल की मौके पर मृत्यु हो गयी। फर्द सूरते हाल एवं सुपुर्दगी कमाण्डर जीप प्रदर्शपी 6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर होना बताता है। वही गवाह जिरह में कथन करता है दुर्घटनाग्रस्त जीप को वही चला रहा था। पिकअप के नंबर 1724 थे पुरे नंबर उसे याद नहीं है। पिकअप चालक का उसे पता नहीं है, कि वह कौन था। उसके बयान नहीं हुए, केवल साईन की कराए थे। पुलिस बयान प्रदर्शडी 2 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जाये तो गवाह द्वारा स्वयं जीप का चालक होना बताकर वक्त दुर्घटना पिकअप वाहन द्वारा तेज गति व लापरवाही से एक्सीडेंट होना बताकर वक्त दुर्घटना में कारित वाहन के वाहन नंबर पूर्ण रूप से नहीं बताया गया तथा ना ही वक्त दुर्घटना वाहन चालक का नाम व पहचान के संबंध में भी कोई कथन नहीं कर पुलिस बयान प्रदर्शडी 2 के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की है। वहीं गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य में यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं की है कि वक्त दुर्घटना पिकअप वाहन चालक वाहन को किस दिशा की तरफ से आ रहा था। इस प्रकार उक्त गवाह जो कि वक्त घटना स्वयं को उपस्थित होना बताकर पूर्ण रूप से दुर्घटना संबंधी कोई पुष्टिकारक व प्रबलकारी साक्ष्य कथित नहीं करता है। इसी क्रम में आगे गवाह पीड. 07 बनवारीलाल जो कि मुख्य परीक्षा में एफआईआर के कथनों की ताईद करते हुए कथन करता है कि दिनांक 12.05.2018 को उसे उसके रिश्तेदार ने सूचना दी की सांवरमल का एक्सीडेंट हो गया है। जिससे उसके भाई सांवरमल व सुवालाल की मृत्यु हो गयी थी। फर्द पंचायतनामा मृतक सांवरमल प्रदर्शपी 11 पर उसके हस्ताक्षर है। रसीद लाश सांवरमल प्रदर्शपी 12 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। वही जिरह में कथन करता है उसने दुर्घटना होते नहीं देखी। उसे पता नहीं कि दुर्घटना किस वाहन की गलती व लापरवाही से हुई। प्रदर्शपी 11 व 12 में वह नहीं समझता पुलिस ने उसमें क्या लिखा है उसे पता नहीं। वह नक्शा मौका प्रदर्शपी 5 में नहीं समझता है। उसने

तो पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। उसके पुलिस में बयान हुए थे व पुलिस बयान में उसने गाडी के नंबर नहीं बताये। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में वक्त घटना दुर्घटना नहीं देखे जाने तथा वाहन चालक व वाहन संबंधी कोई तथ्य नहीं कर प्रदर्शपी 11, 12 व 5 से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये जाने संबंधी कथन किये है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी वक्त दुर्घटना वाहन चालक व वाहन संबंधी कोई प्रबलकारी विश्वसनीय पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। इसी क्रम में गवाह पीड. 10 जितेन्द्र कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में कथन किये है कि प्रदर्शपी 06 कमाण्डर जीप नंबर आर 07 सी 3742 का फर्द सुरतेहाल पुलिस ने उसके सामने बनाया था वही गवाह जिरह में फर्द प्रदर्शपी 6 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर करना बताता है व उक्त गवाह के द्वारा भी वक्त दुर्घटना वाहन चालक व वाहन संबंधी कोई कथन नहीं करते हुए प्रदर्शपी 06 से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए अभियोजन कहानी को किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान नहीं की है। इसी क्रम में गवाह पीड. 04 गंगाराम जो कि मुख्य परीक्षा में दुर्घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना बताकर दुर्घटना कब, कौनसी गाडी से किसकी गलती से हुई, उसे ध्यान नहीं होने संबंधी कथन कर प्रकरण में पक्षद्रोही रहा है। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में कथन करता है कि पुलिस बयान प्रदर्शपी 7 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया व अभियोजन कहानी को साबित करने में गवाह सहयोग प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार अभियोजन कहानी अनुसार प्रकरण के किसी भी चक्षुदर्शी गवाह ने दुर्घटना होते नहीं देखे जाने का कथन किया है। किसी भी गवाह ने जब्तशुदा वाहन नंबर व चालक अभियुक्त हनीफ हो व उसके द्वारा वाहन को चलाकर उक्त घटना कारित की हो यह साबित नहीं किया है।

22. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जब्तशुदा वाहन पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 व उसके असल कागजात फर्द जब्ती प्रदर्श—पी 9 व 10 के गवाह कैलाशचंद पी.डब्ल्यू. 6 ने जिरह में यह कथन किया है कि प्रदर्शपी 9 व 10 में क्या लिखा है तथा पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। फर्द जब्ती प्रदर्श—पी 9 व 10 के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट की। जब्तशुदा वाहन के स्वामी गवाह पी.डब्ल्यू. 5 शंकरलाल ने मुख्य परीक्षण में धारा 133 एम.वी.एक्ट

का नोटिस प्रदर्श—पी 8 व जब्तशुदा वाहन पिकअप व उसके असल कागजात फर्द जब्ती प्रदर्श—पी 9 व 10 को प्रदर्शित करवाया परन्तु जिरह में वक्त घटना वाहन चालक के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए यह कथन किया कि नोटिस प्रदर्श—पी 8 का ए से बी भाग उसकी कलमी नहीं होकर पुलिस द्वारा लिखा होना बताया है तथा स्वयं के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा भी वक्त घटना वाहन चालक नाम व पहचान के संबंध में कोई भी कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। शेष परीक्षित गवाहान की साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण में चिकित्सकीय गवाह पी. डब्ल्यू. 8 डॉ. सुरेश कुमार ने परिवादी के भाई मृतक सुवालाल व अन्य व्यक्ति सांवरमल के शव का पोस्टमार्टम करने का कथन कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श—पी 13 व 14 व पोस्टमार्टम बाबत दी गई तहरीर प्रदर्श—पी 15 प्रदर्शित करवाकर अपनी राय में मृत्यु का कारण सिर व गले पर लगी चोट की वजह से शोक लग जाने का कारण कथित किया है तथा जिरह में कथन करता है कि प्रदर्शपी 13 व 14 में अंकित चोटे अत्यधिक उंचाई से गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है तथा प्रदर्शपी 13 व 14 का ई से एफ भाग पुलिस के कहे अनुसार लिखना बताया है। गवाह पी.डब्ल्यू. 9 शेरसिंह द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश करना बताकर जिरह में कथन करता है कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इसी क्रम में आगे प्रकरण में अंतिम गवाह पीड. 11 मंजू कुमारी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 12.05.2018 को पुलिस थाना सामोद पर एसआई के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान उस दिन समय करीब 8.30 पीएम पर जरिये टेलीफोन उसे सूचना मिली की उदयपुरिया मोड से एक किलोमीटर आगे खेजरोली रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। वह व कांस्टेबल रमेश कुमार मौके पर पहुंचे जहां घटनास्थल पर उन्होंने देखा कि एक जीप व पिकअप के बीच एक्सीडेंट होने से दो व्यक्ति सांवरमल व सुवालाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। जिस पर मृतक सुवालाल की लाश की पंचायतनामा प्रदर्शपी 03, मृतक सांवरमल की लाश का पंचायतनामा प्रदर्शपी 11, मृतक सुवालाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 14, मृतक सांवरमल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 13, मृतक सुवालाल की सुपुर्दगी लाश प्रदर्शपी 4, मृतक सांवरमल की सुपुर्दगी लाश

प्रदर्शपी 12, रोजनामचा रपट रवानगी प्रदर्शपी 16, रोजनामचा रपट वापसी प्रदर्शपी 17, नक्शा मौका प्रदर्शपी 5, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन पिकअप नंबर आरजे 41 जे 1724 को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्शपी 9 व उक्त वाहन के मूल दस्तावेज व चालक हनीफ शाह का मूल डीएल जप्त किया व फर्द जप्ती प्रदर्शपी 10 बनायी। उक्त वाहन स्वामी शंकर लाल को धारा 133 एवमी एक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 8 व मुलजिम हनीफ शाह को धारा 134 एमवीएक्ट का नोटिस प्रदर्शपी 18, तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 व चाक एफआईआर प्रदर्शपी 2 प्रदर्शित करवाये गये। वहीं गवाह जिरह में कथन करती है कि वह दिनांक 12.05.2018 को मौके पर गयी तब दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर नहीं था। दुर्घटना मौके पर कोई कांच इत्यादि हो तो उसे आज याद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 3,4,11,12,13,14 व 15 में दुर्घटना करने वाले वाहन के नंबर अंकित नहीं है। उसने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के फोटोग्राफी नहीं करायी। यह कहना सही है कि प्रदर्शपी 16 व 17 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य में वक्त दुर्घटना वाहन चालक व वाहन के इंजन नंबर व चेसिस नंबर से संबंधित कोई कथन अपनी साक्ष्य में नहीं किये है। साथ ही गवाह द्वारा जरिये टेलीफोन सूचना मिलने पर स्वयं तथा कानि. रमेश कुमार द्वारा मौके पर जाना बताया है तो गवाह द्वारा प्रकरण में कानि. रमेश कुमार को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया है, ना ही परिवादी द्वारा घटना दिनांक 12.05.2018 की होकर दिनांक 15.05.2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन देरी से दर्ज करवाये जाने का कोई उचित कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट व साक्ष्य में नहीं कथित किया है तथा प्रकरण में परीक्षित हुए सभी गवाहान के द्वारा अपनी साक्ष्य में वक्त दुर्घटना वाहन चालक का नाम व पहचान संबंधी कोई कथन किये है, ना ही दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के रजिस्टर इंजन नंबर व चेसिस नंबर के संबंध में कोई प्रबलकारी विश्वसनीय साक्ष्य दी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त हनीफ पर लगे आरोप कि दिनांक 12.05.2018 को समय करीब 7.30—8.00 पीएम पर उदयपुरिया मोड से थोडा आगे सिंगलो की ढाणी के पास पिकअप नंबर आरजे 41 जीए 1724 को तेजगति, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण से चलाकर रोंग साईड में आकर जीप के

टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न करके दुर्घटना कारित की जिससे परिवादी के भाई सुवालाल व एक अन्य व्यक्ति सांवरमल की परिणामस्वरूप मृत्यु हुई हो अभियोजन पक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त हनीफ को अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

:: आ दे श ::

23. अतः अभियुक्त हनीफ पुत्र श्री मुंशी निवासी चांदावास थाना चंदवाजी जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत **धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप में ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

24. अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

25. कि अभियुक्त द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत छः माह की अवधि बाबत राशि 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश कर तस्दीक करावे, जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

(नीलिमा पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौमूॅं, जिला–जयपुर

26. निर्णय आज **दिनांक 10.06.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, दिनांकित कर सुनाया गया।

(नीलिमा पंवार)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
चौमूॅं, जिला–जयपुर